



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 232]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 15 जून 2015—ज्येष्ठ 25, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जून 2015

क्र. एफ बी-4-08-2015-2-पांच (12).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 69 की उपधारा (2), सहपठित धारा 16-क की उपधारा (1), धारा 34 की उपधारा (3) एवं धारा 35 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा किया जाना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उन दस्तावेजों का, जिनका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है, रजिस्ट्रीकरण आगामी आदेश पर्यन्त विभागीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण पद्धति “सम्पदा” द्वारा प्रदेश के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में दिनांक 1 जुलाई 2015 से “ई-रजिस्ट्रीकरण” द्वारा भी किया जा सकेगा. उन दस्तावेजों के लिए, जिनका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 18 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, “ई-रजिस्ट्रीकरण” ऐच्छिक रहेगा. किसी भी अत्यावश्यकता अथवा किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों में महानिरीक्षक, पंजीयन को मध्यप्रदेश रजिस्ट्रीकरण नियम, 1939 के अनुसार अन्यथा कार्यवाही करने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2015

क्र. एफ बी-4-08-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-08-2015-2-पांच (12), दिनांक 15 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 15th June 2015

No. F-B-4-08-2015-2-V (12).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 69, read with sub-section (1) of Section 16-A, sub-section (3) of Section 34 and sub-section (2) of Section 35 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, being satisfied that it is necessary in public interest to do so, hereby, directs that registration of documents which are compulsorily registerable under Section 17 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) till further order may also be done by means of "e-registration" through the department's Electronic Registration System- "SAMPADA", in all sub-registrar offices of the State with effect from 1st July 2015. For documents that are not compulsorily registerable under Section 18 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), "e-registration" shall be optional. In case of any urgency or unavoidable circumstances, the Inspector General of Registration is hereby authorized to proceed otherwise as per the Madhya Pradesh Registration Rules, 1939.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2015

क्र. एफ बी-4-08-2015-2-पांच (13).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 75, सह-पठित धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची-1क के अनुच्छेदों के अनुसार उन दस्तावेजों पर, जिन्हें कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 17 के अधीन अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाना है, आगामी आदेश पर्यन्त स्टाम्प शुल्क का संग्रहण प्रदेश के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों में "ई-स्टाम्पिंग" के माध्यम से भी विभाग की इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग प्रणाली "सम्पदा" द्वारा 1 जुलाई 2015 से किया जा सकेगा. उन दस्तावेजों के लिए, जिनका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, "ई-स्टाम्पिंग" ऐच्छिक होगी. किसी अत्यावश्यकता या किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों की दशा में अधीक्षक, स्टाम्प को अधिनियम की धारा 10 के अनुसार अन्यथा कार्यवाही करने के लिये एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जून 2015

क्र. एफ बी-4-08-2015-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-08-2015-2-पांच (13), दिनांक 15 जून 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 15th June 2015

No. F-B-4-08-2015-2-V (13).—In exercise of the powers conferred by Section 75, read with Section 10 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, being satisfied that it is necessary in public interest to do so, hereby, directs that stamp duty collection as per articles of the Schedule I-A of the said Act for documents which are compulsorily registerable under Section 17 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908) till further order may also be done by means of "e-stamping" through the department's Electronic Stamping System- "SAMPADA", in all the sub-registrar offices of the State with effect from 1st July 2015. For documents that are not compulsorily registerable under Section 18 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), "e-stamping" shall be optional. In case of any urgency or unavoidable circumstances, the Superintendent of Stamps is hereby authorized to proceed otherwise as per Section 10 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.